

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	<p><b>Promotion :</b> Office Superintendent in the Pay Band-2, Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs 4200/- with five years regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training in the field of Administration and Establishment.</p> <p>Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p>
(12)	(13)	
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion).</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Additional Director General, Aeronautical Quality Assurance— Chairman</li><li>2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance— Member</li><li>3. Joint Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance— Member</li></ol>	Consultation with UPSC not necessary.	

[F. No. 2523/RRs (Gp 'A' &amp; 'B') Ministerial/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

**का.नि.आ. 53.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, समूह 'ख' राजपत्रित तकनीकी/वैज्ञानिक पद भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन, रक्षा उत्पादन विभाग में वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-



1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2015 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **आवेदन :** यह नियम, इन नियमों के साथ उपबंधित अनुसूची के स्तम्भ (i) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि:** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति -  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या;  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त किसी पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	76* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800रु + ग्रेड वेतन 4800रु	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, फोरमैन और मुख्य नक्शा नवीश जिन्होंने वेतन बैंड-2,9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4600/-रु सहित उस ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और विज्ञान में डिग्री या इंजीनियरी या नक्शानवीसी में डिप्लोमा रखते हों और गुणवत्ता आश्वासन या उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप या मुद्रांकित विशिष्टियों को और कम्प्यूटर डिजाइन और ड्राफ्टिंग का ज्ञान रखने वाले प्राधिकरण के संबंध में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> विद्यमान पदधारी जो, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर फोरमैन और मुख्य नक्शा नवीश के पद पर नियमित आधार पर पद धारण किए हुए, को उपर उपदर्शित अर्हताओं से छूट प्राप्त होगी।</p> <p><b>टिप्पण:</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा अपने-अपने ग्रेड या पद में विहित अर्हक सेवा के पूर्ण होने की तारीख के संदर्भ से तैयार की जाएगी, जिसमें विभिन्न पोषक ग्रेड में अधिकारियों अर्थात् वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, फोरमैन और मुख्य नक्शानवीश की आंतरिक वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक (मुख्यालय), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन -अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> <li>3. संयुक्त निदेशक, किसी अन्य रक्षा स्थापना से -सदस्य</li> </ol>	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है)**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालयों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित आधार पर जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु और ग्रेड वेतन 4600/- रु या समतुल्य में दो वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है:-

**आवश्यक:**

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री; या

(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री



**वांछनीयः**

गुणवत्ता आश्वासन या निरीक्षण या उत्पादन या वायुयान और उसके उपसाधनों से संबंधित क्षेत्रों के विकास में दो वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविधा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविधा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :-** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2) ज्येष्ठ सहायक	94* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचि- वीय	वेतन बैंड-2, 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	<p>30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p><b>आवश्यक:-</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री सहित किसी मान्यता प्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री; या</p> <p>इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार इंजीनियर संस्थान से डिग्री सहित किसी मान्यता प्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव; या</p> <p>भारतीय धातु संस्थान का सहयुक्त सदस्य सहित किसी मान्यता प्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव; या</p> <p>इंजीनियर संस्थान का सहयुक्त सदस्य सहित किसी मान्यता प्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव; या</p> <p>भारतीय वैमानिक समिति का सहयुक्त सदस्य सहित किसी मान्यताप्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> इंजीनियरी में डिग्री के लिए विद्या विशेष और विज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए विषयों को प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>



(8)	(9)	(10)
आयु- नहीं शैक्षिक अर्हताएं- नहीं, परंतु उसके पास इंजीनियरी में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री अवश्य हो।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	इक्यानवे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और नौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34800/-रु + ग्रेड वेतन 4200 रु सहित ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और गुणवत्ता आश्वासन या उत्पादन क्रियाकलापों में दो से चार सप्ताहों का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक (मुख्यालय), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन -अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> <li>3. संयुक्त निदेशक किसी अन्य रक्षा स्थापन से -सदस्य</li> </ol> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक (मुख्यालय), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन -अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> <li>3. संयुक्त निदेशक किसी अन्य रक्षा स्थापन से -सदस्य</li> </ol>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(3) फोरमैन	57* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचि- वीय	वेतन बैंड-2, 9300- 34800 रु.+ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	<p>30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण</b> :आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p><b>आवश्यक:-</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री सहित किसी मान्यताप्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री; या</p> <p>इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार इंजीनियर संस्थान से डिग्री सहित किसी मान्यताप्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव; या</p> <p>भारतीय धातु संस्थान का सहयुक्त सदस्य सहित किसी मान्यताप्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव; या</p> <p>इंजीनियर संस्थान का सहयुक्त सदस्य किसी मान्यताप्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव; या</p> <p>भारतीय वैमानिक समिति का सहयुक्त सदस्य सहित किसी मान्यताप्राप्त संगठन से सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> इंजीनियरी में डिग्री के लिए विद्या विशेष और विज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए विषयों को प्रत्येक चयन के समय उपदर्शित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशी में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>



(8)	(9)	(10)
आयु- नहीं शैक्षिक अर्हताएं- नहीं, परंतु उसके पास इंजीनियरी में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री अवश्य हो।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> चार्जमैन जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34800/-रु + ग्रेड वेतन 4200 रु सहित ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिप्लोमा या विज्ञान में डिग्री हो और गुणवत्ता आश्वासन या उत्पादन क्रियाकलापों में दो से चार सप्ताहों का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> विद्यमान पदधारी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर चार्जमैन के पद पर नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, को ऊपर उपदर्शित अर्हताओं से छूट प्राप्त होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक (मुख्यालय), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन -अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> <li>3. संयुक्त निदेशक किसी अन्य रक्षा स्थापन से -सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक (मुख्यालय), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन -अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> <li>3. संयुक्त निदेशक किसी अन्य रक्षा स्थापन से -सदस्य</li> </ol>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(4) मुख्य नक्शा- नवीश	02* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 2, 9300- 34800रु + ग्रेड वेतन 4600रु	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(8) लागू नहीं होता।			(9) लागू नहीं होता।		(10) प्रोन्नति द्वारा।	

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ज्येष्ठ नक्शा नवीश जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34800/- रु + ग्रेड वेतन 4200 रु सहित ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिप्लोमा या विज्ञान में डिग्री हो और मुद्रांकित विशिष्टियों के क्रियाकलापों को और कम्प्यूटर डिजाइन और ड्राफ्टिंग का ज्ञान रखने वाले प्राधिकरण के संबंध में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> विद्यमान पदधारी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर ज्येष्ठ नक्शा नवीश के पद पर नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, को ऊपर उपदर्शित अर्हताओं से छूट प्राप्त होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक (मुख्यालय), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन -अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> <li>3. संयुक्त निदेशक किसी अन्य रक्षा स्थापन से -सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>



<p>लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. 2545/आर.आर.एस/जे.एस.ओ., एसएसए, एफएम एण्ड सीडीएम/डी.जी.ए.क्यू.ए./एडीएम-II/

डी(एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

New Delhi, the 10th December, 2015

**S.R.O. 53.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Group 'B' Gazetted (Technical/Scientific) Post Recruitment Rules 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'B' posts in the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, in the Department of Defence Production, under the Ministry of Defence namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'B' Gazetted Posts Recruitment Rules, 2015.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.** - The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.** - The method of recruitment for the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification.** - No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,



shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Junior Scientific Officer.	76* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 : Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs 4800.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b> Senior Scientific Assistant, Foreman and Chief Draughtsman in the pay band-2, Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs4600 with two years regular service in the grade and possessing Degree in Science or Diploma in Engineering or Draughtsmanship and having successfully completed the mandatory training of two to four weeks in Quality Assurance or Production activities or knowledge of Authority holding sealed particulars and computer aided design and drafting.</p> <p><b>Note:</b> The existing incumbents holding the posts of Foreman and Chief Draughtsman on regular basis on the date of notification of these rules shall be exempted from possessing the qualification indicated above.</p> <p><b>Note:</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the</p>



		<p>respective grade or post with due regard to the inter-se seniority of officers of various feeder grades viz. Senior Scientific Assistant, Foreman and Chief Draughtsman.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation (including short term contract) :</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi government or Statutory or Autonomous Organisation,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p>(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department ; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience:-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Degree in Engineering from a recognised university ; or</p> <p>(ii) Master's degree in science from a recognised university.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Two years experience in Quality Assurance or Inspections or Production or development in areas of discipline related to aircraft and its accessories.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including short term contract including period of deputation including short</p>
--	--	---



		<p>term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> Jan 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-</b></p> <p>1. Additional Director General (Head Quarters), Aeronautical Quality Assurance - Chairman</p> <p>2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member</p> <p>3. Joint Director from any other defence establishment - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation including short term contract.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Scientific Assistant.	94* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 : Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Selection

(6)	(7)	(8)
<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> - The crucial date for determining the age limit shall be the</p>	<p><b>Essential :</b></p> <p>Degree in Engineering or Technology from any recognised University plus one year experience in relevant field from a recognised organisation or Masters degree in science from any recognised university; or</p>	<p>Age- No</p> <p>Educational Qualification- No. but must possess at least Diploma in Engineering or Degree in Science from a recognised University.</p>



<p>closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Degree from the Institute of Electronics and Telecommunication Engineers plus one year experience in the relevant field from a recognised organisation; or</p> <p>Associate Member of Indian Institute of Metals plus one year experience in the relevant field from a recognised organisation; or</p> <p>Associate Member of Institute of Engineers plus one year experience in the relevant field from a recognised organisation; or</p> <p>Associate Member of Aeronautical Society of India plus one year experience in the relevant field from a recognised organisation.</p> <p><b>Note 1:-</b> Discipline(s) for degree in engineering and subject(s) for masters degree in science will be indicated at the time of each recruitment.</p> <p><b>Note 2:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 3 :</b> The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	
<p>(9)</p> <p>Two years for direct recruits.</p>	<p>(10)</p> <p>Ninety one percent by direct recruitment and nine percent by promotion.</p>	<p>(11)</p> <p><b>Promotion:</b> Scientific Assistant in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade and having successfully completed the mandatory training of two to four weeks in Quality Assurance or Production activities.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or</p>



		<p>eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General (Head Quarters), Aeronautical Quality Assurance – Chairman</li> <li>2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member</li> <li>3. Joint Director from any other defence establishment – Member</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General (Head Quarters), Aeronautical Quality Assurance – Chairman</li> <li>2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member</li> <li>3. Joint Director from any other defence establishment – Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Foreman.	57* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2: Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Selection.



(6)	(7)	(8)
<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central government).</p> <p><b>Note:</b> - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, division of Jammu &amp; Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p><b>Essential :</b></p> <p>Degree in engineering or Technology from any recognized University plus one year experience or Master's Degree in Science from any recognised University; or Degree from the Institute of Electronics and Telecommunication Engineers plus one year experience in the relevant field from a recognised organisation; or</p> <p>Associate Member of Indian Institute of Metals plus one year experience; or Associate Member of Institute of Engineers plus one year experience in the relevant field from a recognised organisation; or</p> <p>Associate Member of Aeronautical Society of India plus one year experience in the relevant field from a recognised organisation.</p> <p><b>Note 1:</b> Discipline(s) for degree in engineering and subject(s) for master's degree in science will be indicated at the time of each recruitment.</p> <p><b>Note 2:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 3:</b> The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	<p>Age- No</p> <p>Educational Qualification- No. But must possess atleast Diploma in Engineering or Degree in Science from a recognised University.</p>
(9)	(10)	(11)
<p>Two years for direct recruits.</p>	<p>Fifty percent by direct recruitment and fifty percent by promotion.</p>	<p><b>Promotion:</b> Chargeman in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade and possess atleast Diploma in Engineering or Degree in Science from a recognised university and having successfully completed the mandatory training of two to four weeks in Quality Assurance or Production activities.</p> <p><b>Note 1:</b> The existing incumbents holding the post of Chargeman on regular basis on the date of notification of these rules shall be exempted from possessing the qualification indicated above.</p>



		<p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General (Head Quarters), Aeronautical Quality Assurance – Chairman</li> <li>2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member</li> <li>3. Joint Director from any other defence establishment – Member</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General (Head Quarters), Aeronautical Quality Assurance – Chairman</li> <li>2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member</li> <li>3. Joint Director from any other defence establishment – Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Chief Draughtsman.	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 : Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs 4600.	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.



(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	<p><b>Promotion:</b> Senior Draughtsman in the pay band-2, Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs 4200 with five years regular service in the grade and possessing atleast Diploma in Engineering or Degree in Science from a recognised institute or university and having successfully completed the mandatory training of two to four weeks in knowledge of Authority holding sealed particulars activities and computer aided design and drafting.</p> <p><b>Note 1:</b> The existing incumbents holding the post of Senior Draughtsman on regular basis on the date of notification of these rules shall be exempted from possessing the qualification indicated above.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay Scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p>

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General (Head Quarters), Aeronautical Quality Assurance – Chairman</li> <li>2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member</li> <li>3. Joint Director from any other defence establishment – Member</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. .

[F. No. 2545/RRs/JSO, SSA, FM &amp; CDM/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.